न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां, R.T.S.
मिसल नं. ::: 99/2017

सरकार

बनाम

केदार पुत्र ख्याली, जाति–मेघवाल, निवासी– कुलोठ खुर्द

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 15.09.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल स्वयं अनुपस्थित। गैर सायल की ओर से उसका भाई घीसा उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि. गैर सायल केदार पुत्र ख्याली, जाति–मेघवाल, निवासी– कुलोठ खुर्द द्वारा रोही मौजा कुलोठ खुर्द की राजकीय भूमि ख.नं. 222 कुल रकबा 11.93 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.01 है0 भूमि पर फसल बाजरा काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से उसके भाई ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि उसने नोटिस मिलते ही अपना अतिक्रमण हटा लिया है। अन्य कोई साक्ष्य/सबूत पेश नही किया। गैर सायल का जवाब संतोषजनक नही माना जा सकता। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है। राजकीय भूमि में बोई गई फसल को राजहक में कुर्की, जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत् गिरदावर हल्का को लिखा जावें।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली एवं फसल निलामी हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 30 पर
वर्ष 2017-18 में रुपये 5/- कायम कि।
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनिया)
तहसीलदार, सूरजगढ़